विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 114

प्रश्नकर्ता श्री अनिल झा

दिनॉक 21.03.2013

क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगें कि:–

क0 स0	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण के कारण बंद किए गए उद्योगों से जुडे हुए मजदूरों के लिए सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना बनाई गई है	सरकार ने कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई हैं क्योंकि 'एम सी मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य' के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रम विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर दिनॉक 8.7.1996 के आदेश को संशोधित कर दिनांक 04.12.1996 के द्वारा मजदूरों के हित के लिए आदेश दिए गए थे।
ख	प्रदूषण के कारण बंद की गई स्वतंत्र मिल, शिवाजी मार्ग दिल्ली केमिकल मिल, शिवाजी मार्ग दिल्ली क्लॉथ मिल्स, नई दिल्ली मिलों कार्य करने वाले मजदूरों के लिए सरकार या मिल मालिकों ने कौन सी कल्याणकारी योजना बनाई;	दिल्ली क्लाथ मिल प्रदूषण के कारण नहीं, परन्तु श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच आपसी समझौते से बंद हुई थी तथा समझौते के अंतर्गत वैधानिक देय राशि के अतिरिक्त कर्मचारियों को 6 साल का वेतन दिया गया था अन्य मिलों के बारे में तथ्य, उपरोक्त 'क' अनुसार है।
ग	क्या हटाए गए मजदूरों को कोई मकान आदि देने की कोई योजना है	जी नहीं ।
घ	स्वतंत्र भारत मिल के आवासीय क्षेत्र में वर्तमान में कौन सी गतिविधियॉ चल रही है;	वर्तमान में स्वतंत्र भारत मिल की भूमि में डी एल एफ समूह द्वारा बहुमंजली आवास का निर्माण किया जा रहा है जिसमें भूतपूर्व मजदूरों के आवास के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं है ।

ड़	यदि क्या उक्त क्षेत्र में मकान बनाए जा रहें है; यदि हॉ तों क्या उन मकानों में मजदूरों की भी कोई हिस्सेदारी है; और	उपरोक्तानुसार
च	स्वतंत्र भारत मिल की जमीन किस कम्पनी को किस आधार पर बेची गई, करार एवं शर्तो का पूर्ण विवरण क्या है?	भूखण्ड स्वामी स्वतंत्र भारत मिल्स माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जमीन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने यह जमीन डी एल एफ लि को बेची है। स्वतंत्र भारत मिल्स व डीएलएफ लि निजी संस्थान हैं अतः श्रम विभाग को इस करार के संबंध में जानकारी नहीं है।